

कारण नोटिस बोर्ड पर इकट्ठा करने के लिए लिखा है।
28/4/25 नियत की गई।

28/04
25

भाज यह पत्रावली पेश हुई। बोर्ड भी उप
नहीं। मूल दावा अहमदाबदी अदम
पैरवी में खारिज हो चुका है। पार्षना
पत्र 22 को आगे चलाने का बोर्ड
आंशिक नहीं है, अतः पार्षना पत्र
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर नए
संदर्भों पर खारिज होकर है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

आप कि ध्यान देना